| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>रोहताश v/s देवेन्द्र आदि | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 21.6.24 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। बहस सुनी गई। तहसीलदार बुहाना की रिपोर्ट रही की सायलान ने अपने खेत ख.नं. 132,133,134,136 व 137 के लिए प्रार्थीगण ने ख.नं. 137 में से कई वर्षो से रास्ता कब्जाया रखा है। जो रास्ते पर चालू है। अत: जो ग्राम उदयमण्डी के ग्राम निवास में प्रवेश करता है। अत: गाव का सभी आवागमन इसी रास्ते से होता है। वह सायलान को अपने खेतो में आनेजाने जाने के लिए वैकल्पिक साधनो का अभाव सिद्ध नही होता है। अत: प्रकरण को खारिज किया जाए। बहस, रिपोर्ट व दस्तावेजो के आधार पर सायलान का याचिका पत्र न्यायहित में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>उपखण्ड अधिकारी बुहाना<br>जिला झुन्झुनूं (राज.) | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:17:48 IST
Reason: SelfAttested